

नई दुनिया

नईदुनिया मीडिया प्रा. लि. का प्रकाशन

दिल्ली-एनसीआर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर और भोपाल (नवदुनिया) से प्रकाशित

दलितों से जुड़ी योजनाओं के लिए निर्धारित आवंटन में कई सालों से हो रही है गड़बड़ी

दिल्ली सरकार ने दलितों को नहीं दिए 14.88 अरब

भाषा सिंह

नई दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले दलितों को 14.88 अरब रुपए से वंचित रहना पड़ा। यह वह राशि है जो उन्हें स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत वर्ष 2008-09 में मिलनी चाहिए थी। अगर यह राशि खर्च कर दी जाती तो दिल्ली की अनगिनत दलित बस्तियों-झुगियों की किस्मत पलट जाती। शहरी विकास तथा सार्वजनिक कार्य के तहत 1002 करोड़ रुपए दलितों की बस्तियों, झुगियों, सफाई पर आवंटित किए जाने चाहिए थे, लेकिन खर्च किए गए मात्र 70 करोड़ रुपए दलितों के उद्धार से जुड़ी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के मद में आवंटन में भी यही हुआ। नए बजट की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार ने इसे खामी को गंभीरता से लिया है।

ऐसा नहीं है कि दलितों के लिए निर्धारित आवंटन पहले साल ही नहीं हुआ हो। पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। इस बारे में सुनवाई के लिए मामला हाईकोर्ट से लेकर सूचना



अधिकारियों तक पहुंच चुका है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि उसने 17 फीसदी आवंटन ही किया है लेकिन अब दूसरे तथ्य सामने आ रहे हैं। खुद नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कैना) की रिपोर्ट में भी यह अंतर सामने आया है। दरअसल 1980 में 6वीं पंचवर्षीय योजना से यह प्रावधान देश भर में लागू है कि केंद्रीय से लेकर राज्य स्तर की योजनाओं में कुल योजना व्यय का 17 फीसदी दलितों के लिए

- यह राशि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत 2008-09 में मिलनी चाहिए थी
- शीला सरकार ने संशोधित बजट में मात्र 2.7 फीसदी इस प्लान पर खर्च किया
- राशि खर्च होती तो दलित बस्तियों की किस्मत पलट जाती

स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत विशेष विकास योजनाओं पर ही खर्च होना चाहिए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008-09 के संशोधित बजट में मात्र 2.7 फीसदी इस प्लान पर खर्च किया। इस साल का कुल योजना व्यय था 101.07 अरब, जिसमें से स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत आवंटित किया गया 2.29 अरब, जो कुल व्यय का मात्र 2.27 फीसदी ठहरता है। इस तरह से दलितों के विकास के लिए कायदे से आवंटित

होने वाली 14.88 अरब रुपए की राशि अधर में लटकती रह गई या उसका कुछ हिस्सा किन्हीं और मदों में खर्च हो गया। दलितों को उनका निर्धारित हिस्सा योजना व्यय से दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के पॉल दिवाकर ने बताया कि दलितों के उद्धार के लिए आवंटित की जाने वाली तय राशि अगर मिल जाए तो उनकी हालत में बहुत सुधार हो जाए। दिक्कत यह है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत दलितों के लिए आवंटित होने वाली राशि के बारे में बहुत कम जानकारी है।

दलितों को उनका निर्धारित आर्थिक हक न मिलने से नाराज दलित आर्थिक अधिकार संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के ओएसडी से भी मुलाकात की। इस संगठन के उमेश ने 'नईदुनिया' से कहा कि इस बैठक में यह सहमति बनी कि इस बारे में इस गड़बड़ी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। संगठन ने मांग की है कि आगामी बजट में इस मद में 1,718 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएं।